केरल विश्वविद्यालय

बनाम

महाविद्यालयों के प्राचार्यों की परिषद केरल एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 887/2009)

11 फरवरी, 2009

[न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग-समिति की रिपोर्ट-इस पर विचार करते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालयों को समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी किए गए-एमसीआई, बीसीआई यूजीसी के परामर्श से अपेक्षित नियम बनाने के लिए छात्रों को उक्त दिशा-निर्देशों के साथ-साथ उनका पालन न करने से होने वाले परिणामों के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए-जहां तक कार्रवाई करने से पहले अपराधी को अवसर देने का संबंध है, देरी मामले को हतोत्साहित करेगी।

रैगिंग का मतलब: रैगिंग को वरिष्ठों और नए छात्रों के बीच का संबंध नहीं माना जा सकता है, जबकि 'परिचय' को दोनों के बीच संबंधों की उत्पत्ति माना जा सकता है- रैगिंग मूल रूप से मानवाधिकारों का

दुरुपयोग है-यह व्यवस्थित और निरंतरता का एक रूप है, कॉलेज/विश्वविद्यालय/ किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में वरिष्ठ छात्रों के हाथों नए छात्रों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण-रैगिंग का अर्थ है व्यावहारिक मजाक के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से छात्र को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना या अन्यथा एेसा कोई भी कार्य करना जो मानव गरिमा को ठेस पहुँचाता है या उसके व्यक्तित्व का उल्लंघन करता है या उसे धमकाकर, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, या उसे घायल करना या उस पर आपराधिक बल का उपयोग करना या उसे ऐसी कोई धमकी देकर उपहास करना या कोई वैध कार्य करने से रोकना।

अध्यक्ष, विश्व जागृति मिशन बनाम कैबिनेट सचिव, केन्द्र सरकार एवं अन्य एआईआर 2001 एससी 2793, संदर्भित किया गया।

एवरीमैन्स इनसाइक्लोपीडिया 1938 संस्करण, खण्ड द्वितीय; अंग्रेजी भाषा का रैंडम हाउस डिक्शनरी 1967 संस्करण, संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ:

एआईआर 2001 एससी 2793	सन्दर्भित	पैरा 2, 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 887/2009

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा रिट याचिका संख्या 30845/2003 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.6.2004 से।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर.सतीश।

उत्तरदाताओं की ओर से ई.एम.एस. अनम, के.आर. शशिप्रभु, एम.के. माइकल, एम.के.डी. नम्बूदिरी, एस.एम. जाधव, टी.वी. जॉर्ज, शैल कुमार द्विवेदी, वी.जी. प्रगसम, के.एच. नोबिन सिंह, आर.एस. जेना, अजीत कुमार सिन्हा, पी.वी. दिनेश, आर.सी. कोहली, एस. चंद्र शेखर, गोपाल सिंह, ए.ए. चौधरी, मनिंदर सिंह, अनिल के.झा, एच.के. पुरी, एल.आर. सिंह, हिमांशु शेखर।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग का मुद्दा लंबे समय से इस न्यायालय के लिए चिंता का विषय है। यह ध्यान में रखते हुए कि अध्यक्ष, विश्व जागृति मिशन बनाम कैबिनेट सचिव, केन्द्र सरकार एवं अन्य एआईआर 2001 एससी 2793 में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के बावजूद दिनांक 27.11.2006 के आदेश द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए कुछ उपचारात्मक व्यावहारिक उपाय किए गए हैं। श्री

आर.के. राघवन, पूर्व निदेशक, सी.बी.आई. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ उपाय सुझाये। इसके बाद दिनांक 16.5.2007 और 10.12.2007 के आदेश पारित किये गये। आगे की प्रगति रिपोर्ट विद्वान न्याय मित्र श्री गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, समिति की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट दायर की गई है जो इस प्रकार है:

> "दूसरी रिपोर्ट: डॉ. आरके राघवन की अध्यक्षता में समिति की 2 अप्रैल 2008 को नई दिल्ली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग पर इस समिति की रिपोर्ट और छात्र संघों के चुनावों पर लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति का जायजा लेने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विभिन्न प्राधिकरणों, एजेंसियों और अन्य हितधारकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक हुई।
>
> 2. 10 दिसंबर 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी और कुछ आदेश पारित किये थे। तदनुसार, 4-1-2008 को, मंत्रालय ने यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, पीसीआई, आईएनसी और आईसीएआर जैसे सभी नियामक संस्थानों को न्यायालय की टिप्पणियों और उसके

निर्देशों से अवगत कराया कि उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रॉस्पेक्टस में यह बता दें कि यदि रैगिंग की कोई घटना संबंधित प्राधिकारी के संज्ञान में आती है तो आरोपी छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा तो प्राधिकारी उसे संस्थान से निष्कासित कर देगा। नियामक संस्थानों से समय-समय पर की जा रही प्रगति के बारे में सूचित करने का भी अनुरोध किया गया था और यह भी सूचित किया गया था कि अलग-अलग उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों को समेकित और विश्लेषण किया जाए और केवल निष्कर्षों को समिति के समक्ष रखने के लिए मंत्रालय को सूचित किया जाए। रैगिंग के विरुद्ध जनचेतना जगाने के लिए मंत्रालय द्वारा डीएवीपी की सहायता से मीडिया में जारी करने हेतु ऑडियो वीडियो जिंगल/स्पॉट तैयार किये गये हैं। सीबीएसई ने काउंसलिंग के प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपने से संबद्ध सभी संस्थानों को माता-पिता और शिक्षकों दोनों को शामिल करते हुए छात्रों की कांउसलिंग करने, शारीरिक दंड को समाप्त करने, मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्कूल छोड़ने के समय छात्रों के चरित्र प्रमाण पत्र में छात्रों के व्यवहार पैटर्न को इंगित करने का पत्र जारी किया है समिति ने यूजीसी, एमसीआई और डीसीआई द्वारा

रिपोर्ट की गई प्रगति की समीक्षा की। एनसीआई से किसी भी रिपोर्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई। इसके बाद समिति ने यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई और डीसीआई के प्रतिनिधियों से भी उनके द्वारा उठाए गए उपायों और हासिल की गई प्रगति के बारे में सुना।

3. एमसीआई ने बताया कि देश के कुल 270 मेडिकल कॉलेजों में से 202 ने उठाए गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी है। इनमें रैगिंग विरोधी समितियों का गठन किया है। उन्होंने रैगिंग के मामले में नए छात्रों से संपर्क करने के लिए अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर प्रकाशित किए हैं। उन्होंने वरिष्ठ और नए छात्रों के लिए परामर्श सत्र और अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं। रैगिंग के दोषी पाए गए छात्रों को सज़ा दी गई है और परिषद के प्रयासों के कारण अनुपालन की रिपोर्ट करने वाले संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी रैगिंग रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया। इसके प्रतिनिधि ने बताया कि भारत के सभी 127 डेंटल कॉलेजों ने रैगिंग रोकने के लिए रैगिंग विरोधी समिति और दस्ते का गठन किया है। इन संस्थानों ने वरिष्ठों और कनिष्ठों के लिए परामर्श और अभिविन्यास

पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, रैगिंग के मामले में संपर्क किए जाने वाले टेलीफोन नंबरों और अधिकारियों के नामों के प्रकाशन के अनुपालन की सूचना दी है। एआईसीटीई के सदस्य सचिव ने बताया कि काउंसिल ने विज्ञापन जारी कर उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत कराया था और यदि संस्थान में फिर भी रैगिंग होती है तो संस्थानों को सीटों की संख्या में कटौती जैसे कठोर दंड की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान से प्राप्त व्यक्तिगत अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई है और पिछले वर्ष की तुलना में रैगिंग के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रयास जारी हैं और उम्मीद है कि नए शैक्षणिक वर्ष में रैगिंग की घटनाओं में और कमी आएगी।

4. रैगिंग के बारे में शिकायत करने वाले छात्रों के उत्पीड़न के दो मामले अध्यक्ष के संज्ञान में आए थे, जिन्होंने तुरंत संबंधित संस्थान, अर्थात डॉ. एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (एक मानद विश्वविद्यालय) के साथ मामला उठाया था। दो महीने बाद ही संस्थान ने जवाब दिया। दोनों छात्रों ने संस्थान के जवाब में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। समिति का मानना है कि पूरे प्रकरण की एआईसीटीई द्वारा विस्तार से

जांच की जानी चाहिए और आगे की कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

5. समिति ने नोट किया कि छात्र संघ चुनाव के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 29.11.07 को राज्य के मुख्य सचिवों को संबोधित किया है। इसके बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(ए) अध्यक्ष द्वारा संदर्भित रैगिंग की शिकायत करने वाले दो छात्रों के उत्पीड़न के मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए यूजीसी को भेजा जाना चाहिए और शीर्ष अदालत को रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। उत्पीड़ित छात्र द्वारा प्रस्तुत याचिका संलग्न की जाए;

(बी) उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रॉस्पेक्टस में रैगिंग के लिए दोषी पाए जाने पर निष्कासन की सजा के प्रावधान को शामिल करने के साथ-साथ पिछले शैक्षणिक वर्ष में रैगिंग के मामलों की संख्या और उनके द्वारा दी गई सजाओं को भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय को उसके आदेशों के

लिए दी जाने वाली रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जा सकता है;

(सी) नियामक एजेंसियों को सुझाए गए रैगिंग विरोधी उपायों को अपनी परिषद के समक्ष रखना चाहिए और अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए;

(डी) एमसीआई को रैगिंग रोकने के लिए मसौदा विनियमन तैयार करना चाहिए और इसे तेजी से अपनाने के लिए मंत्रालय को भेजना चाहिए;

(ई) जहां मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हैं वहां सम्बन्धित परिषदों को समान सुविधाएं/परिसर के अधिक प्रभावी के सम्बन्ध में संयुक्त प्रयास करने चाहिए;

(एफ) चूंकि यूजीसी की ग्यारहवीं योजना की अनुदान समितियां अनुदान आवश्यकताओं का आंकलन करने और प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेंगी, इसलिए रैगिंग की रोकथाम को ध्यान केन्द्रित करने वाले विषयों में से एक बनाया जाए। चूंकि समितियों में एआईसीटीई/एमसीआई/डीसीआई

आदि के प्रतिनिधि होंगे, इसलिए इन प्रबंधनों को रैगिंग रोकने के संदेश की गंभीरता बतानी चाहिए;

(जी) नियामक निकायों को उन क्षेत्रों और संस्थानों को लक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए प्राप्त रिपोर्टों का अधिक विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए जहां रैगिंग को रोकने के उपाय बहुत प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं;

(एच) सभी संबंधित संस्थानों को रैगिंग के दोषी पाए गए छात्रों को सजा सुनिश्चित करने, निवारक के रूप में ऐसी सजाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, समिति द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों को सख्ती से लागू करने जैसे हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि प्रत्येक एक दूसरे का पूरक बन सके और संदेश ज़मीनी स्तर तक जाए;

(आई) सी.यू.आर.ई. जैसे सामाजिक रूप से सक्रिय गैर सरकारी संगठनों को भी रैगिंग को रोकने और जनता की राय को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है:

(जे) समिति को जून से अगस्त तक हर महीने बैठक करनी चाहिए और उसके बाद महीने में एक बार समीक्षा करनी चाहिए

(के) समिति की अगली बैठक मई 2008 में (29-31 के अलावा अन्य तारीखों पर) आयोजित की जा सकती है।

तीसरी रिपोर्ट: 1. उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने और छात्र संघ चुनाव कराने के विभिन्न उपायों की निगरानी के लिए डॉ. आरके राघवन की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की दो बैठकें 11 जून 2008 और 5 अगस्त 2008 को नई दिल्ली में हुई।

2. दोनों बैठकों में समिति ने समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की। 11 जून 2008 को हुई बैठक में समिति ने नियामक संस्थाओं द्वारा दिखाई गई असहायता पर निराशा व्यक्त की। इसने यूजीसी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान जारी करने को उनके द्वारा अनुपालन के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। इसने शैक्षणिक संस्थानों को (नियामक एजेंसियों के माध्यम से) अपने प्रवेश सूचनाओं/विज्ञापनों में रैगिंग के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' के संबंध में उचित संदेश शामिल करने का निर्देश दिया। इसमें निर्णय

लिया गया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में रैगिंग रोकने के लिए ऑडियो वीडियो अभियान चलाया जाए। इसमें कहा गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने समिति की सलाह के बावजूद रैगिंग रोकने के लिए मसौदा नियम नहीं बनाए हैं। परिषद से पुनः अनुरोध किया गया। इसने यूजीसी से एमजीआर उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा रैगिंग की शिकायत करने वाले दो छात्रों के उत्पीड़न के मामले की जांच करने का भी अनुरोध किया। 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी बैठक में समिति ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापन और दृश्य-श्रव्य अभियान का अच्छा प्रभाव पड़ा है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपने स्थानीय अभियानों में उपयोग के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों की सराहना की है। इसमें यह भी कहा गया कि इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने रैगिंग को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विज्ञापन जारी किए थे और 23 एवं 24 जुलाई 2008 को राजधानी में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रैगिंग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। समिति ने महसूस किया कि प्रचार का प्रयास संस्थागत स्तर तक फैलना

चाहिए और प्रत्येक परिसर को रैगिंग के खतरे के बारे में छात्रों को प्रचारित और संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।

3. समिति ने 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी बैठक में कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर चर्चा की। उनके काम की सराहना की गई। देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आए रैगिंग के मामलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के अलावा सीयूआरई की वेबसाइट पर वीडियो का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। रैगिंग की रोकथाम में लगे पश्चिम बंगाल के एनजीओ का भी हवाला दिया गया। समिति द्वारा विभिन्न परिषदों को सलाह दी गई कि वे जहां आवश्यक हो, गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों का लाभ उठाएं।

4. समिति ने महसूस किया कि दृश्य-श्रव्य अभियान रैगिंग के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों की जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में सफल रहा है। समिति ने महसूस किया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत को कवर करने के लिए विज्ञापन अभियान जारी रखा जाना चाहिए। धन की कमी की स्थिति में अभियान को रैगिंग की घटनाओं की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों पर केंद्रित किया जा सकता है।

5. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सामने आए मामलों की समीक्षा करते हुए समिति ने निर्णय लिया कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली के रैगिंग मामले में भारतीय नर्सिंग परिषद से जाँच कराई जाए। समिति ने निर्णय लिया कि प्रेस में रिपोर्ट की गई किसी भी घटना को रैगिंग माना जाना चाहिए जब तक कि जांच में यह अन्यथा न पाया जाए। रैगिंग की रिपोर्ट की गई घटनाओं को तकरार या झगड़ों के रूप में प्रसारित कर दिया जाता है जो छात्रों के बीच और विस्तृत जांच और दोषी छात्रों की सजा को रोकता है। इसलिए यह वांछित है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए रिपोर्ट की गई घटनाओं की नर्सिंग परिषद द्वारा जांच की जानी चाहिए। समिति ने द ग्राफिक एरा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तरप्रदेश में सामने आए रैगिंग मामले पर गौर किया। दोषी छात्रों को दी गई सजा के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए एआईसीटीई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था। कोयंबटूर में "पेड रैगिंग" का मामला 5.8.2008 के द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट किया गया था, जहां नए छात्रों को स्टार होटलों में वरिष्ठ छात्रों की विलासिता यात्राओं के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था जिसे जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए एआईसीटीई को भेजा गया था। समिति ने रैगिंग के दोषी छात्रों

को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुकरणीय दंड देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अधिकारी ऐसी घटनाओं को जिस गंभीरता से देखते हैं वह स्पष्ट हो सके।

6. एमजीआर उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई द्वारा दो छात्रों के उत्पीड़न मामले के संबंध में समिति धीमी प्रगति को देखकर नाखुश थी। इसने यूजीसी को यूजीसी और एआईसीटीई की एक संयुक्त टीम नियुक्त करके जांच करने और अपने निष्कर्ष शीघ्रता से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

7. समिति ने गुमनाम शिकायतों से पैदा होने वाली समस्याओं, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत के स्वीकार्य तरीकों की परिभाषा की कमी और रैगिंग को रोकने में छात्र संघों की भूमिका पर चर्चा की। शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी पहचान और रैगिंग की घटनाओं और इसमें शामिल व्यक्तियों के विवरण का खुलासा करने की अनिच्छा कार्रवाई करने में एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है। समिति ने महसूस किया कि रैगिंग एक बहुत ही जटिल घटना है जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य आयाम शामिल हैं। केवल नियमों और प्रतिबंधों के दृष्टिकोण से समस्या का सामना करना उचित नहीं होगा क्योंकि शैक्षिक प्रशासकों के लिए छात्रों की स्वशासी संस्थाआें की मांगों से

निपटना बहुत मुश्किल है। रैगिंग के दुष्परिणामों के बारे में छात्र संघों के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करना एक उपाय के रूप में आजमाया जा सकता है।

8. समिति ने महसूस किया कि रैगिंग को रोकने के लिए नियामक निकायों द्वारा और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और परिषदों के प्रयासों के प्रति शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिक्रिया में तत्परता का अभाव है। उन्हें नियम बनाना चाहिए और निर्देश देना चाहिए। समिति ने महसूस किया कि विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी से समिति की रिपोर्ट में शामिल समर्पित वार्डन आदि जैसे विभिन्न अन्य सुझावों पर माननीय न्यायालय से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।"

3. रैगिंग को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में नए छात्रों से परिचय या परिचित कराने के एक तरीके के रूप में तर्कसंगत और उचित ठहराया गया है।

4. एक बहुत ही सकारात्मक पहलू में, "रैगिंग" को वरिष्ठों और नए छात्रों के बीच का संबंध नहीं माना जा सकता है, जबकि "परिचय" को दोनों के बीच संबंधों की उत्पत्ति माना जा सकता है।

5. जब कोई छात्र किसी विशेष संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनमें से एक जो सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है घर से दूर रहना और विशेष रूप से प्रियजनों से दूर रहना। इन समस्याओं के कारण, नए लोग उम्मीद करते हैं कि कोई उनकी देखभाल करेगा, जिसके साथ उन्हें घरेलू माहौल मिलेगा जैसा कि वे अपने-अपने घरों में आनंद ले रहे थे। लेकिन आजकल तो वरिष्ठों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, उन्होंने "परिचय" के अर्थ को "रैगिंग" में बदल दिया है।"

6. "परिचय" की आड़ में "वरिष्ठ" ने नए छात्रों की रैगिंग शुरू कर दी है और जिसके कारण, हाल के वर्षों में, यह दिन-प्रतिदिन चर्चा का विषय बन गया है कि जिन नए छात्रों को गंभीर रैगिंग का सामना करना पड़ा है, वे शैक्षणिक संस्थान छोड़ रहे हैं और कुछ ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है और कुछ ने ऐसा किया भी है।

7. आधुनिक युग में "रैगिंग" को केवल "चिढ़ाना", "आतंक", "उत्पीड़न", "क्रूरता", "भय" तथा "शारीरिक एवं मानसिक यातना" के पर्याय के रूप में ही जाना जाने लगा है।

8. अभिलेखों और सर्वेक्षणों के अवलोकन से, यह स्वीकार किया गया है कि "रैगिंग" मानव अधिकारों के दुरुपयोग का एक व्यवस्थित रूप है

जैसा कि भारत के संविधान के साथ-साथ विश्व के अन्य संविधानों में भी समाविष्ट है।

9. वर्षों से दुनिया भर में और विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, "रैगिंग" की प्रथा का अर्थ नए छात्रों के लिए अत्यधिक "उत्पीड़न", "आतंक" और यहां तक कि "शारीरिक और मानसिक यातना" के रूप में किया जाने लगा है।

10. रैगिंग वरिष्ठों द्वारा कनिष्ठों के साथ रिश्ते को तोड़ने के लिए की जाने वाली अनुशासनहीन गतिविधियों का एक समूह है, जिन्हें अचानक एक बिल्कुल नए वातावरण में फेंक दिया गया है। ऐसी सभी गतिविधियों के पीछे वरिष्ठों का तर्क केवल नवागंतुकों को ज़मीन पर लाना है, क्योंकि उनकी राय में नवांगतुक वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते हैं और "परिचय" की आड़ में ऐसी सभी अमानवीय गतिविधियाँ करके वरिष्ठ नवांगतुकों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ताकि नये लोग उनका आदर करें और उनके वश में रहें। परन्तु यह कृत्य उचित एवं न्यायसंगत नहीं हो सकता। वरिष्ठों द्वारा किया गया कृत्य "बर्फ के खिलाफ स्टील की मुट्ठी" है और इसी तरह ऐसा करके, वे नए लोगों की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य और वस्तु को चकनाचूर कर देते हैं और वे इस व्यावहारिक दुनिया से अलग हो जाते हैं।

11. "रैगिंग" को प्रतिबंधित करने के लिए इस न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वे केंद्रीय, राज्य या निजी संस्थान हों, को कई दिशा-निर्देश

दिए हैं। [देखें: विश्व जागृति मिशन बनाम केंद्र सरकार (एआईआर 2001 एससी 2793)].

12. रैगिंग मूल रूप से मानवाधिकार का हनन है। रैगिंग विभिन्न रूपों में हो सकती है। यह शारीरिक शोषण या मानसिक उत्पीड़न हो सकता है। वर्तमान समय में रैगिंग की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। कभी-कभी हिंसा का प्रयोग किया जाता है। छात्र को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या मानसिक रूप से आतंकित किया जाता है। सभी मनुष्यों को एक एेसा समाज जिसमें वे रहते हैं, गरिमापूर्ण जीवन के लिए अधिकार के रूप में दावा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जब इसे जानबूझकर या लापरवाही से क्षतिग्रस्त किया जाता है या हटा दिया जाता है तो व्यक्ति के मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है; इस अर्थ में रैगिंग मानवाधिकारों के दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है।

13. एवरीमैन्स इनसाइक्लोपीडिया (1938 संस्करण, खंड द्वितीय) और अंग्रेजी भाषा का रैंडम हाउस शब्दकोश (1967 संस्करण) में रैगिंग के बारे में संदर्भ हैं। इन संदर्भ पुस्तकों में रैगिंग के पर्यायवाची शब्दों जैसे रैकिंग, डकिंग, चिढ़ाना आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इंग्लैंड में रैगिंग की प्रथा शुरू करने का श्रेय/अपयश ड्यूक ऑफ एक्सेटर को जाता है। रैकिंग रैगिंग का दूसरा रूप था जिसमें पीड़ित को प्रताड़ित करने के लिए 'रैक' नामक एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे-

धीरे यह रैगिंग शब्द के साथ मिश्रित हो गया। मिस्र, रोमन और यूनानी भी पीछे नहीं थे। किसी न किसी रूप में उनके समाजों में भी रैगिंग पाई गई।

14. रैगिंग कोई नई घटना नहीं है। यह पुराने समय में भी अस्तित्व में था। यह सभ्य समाज का हिस्सा था। शिक्षा के प्राचीन केंद्रों, जैसे बेरिटस और एथेंस में रैगिंग प्रचलित थी। इंग्लैंड के आर्मी स्कूलों में रैगिंग एक परंपरा के रूप में मौजूद थी। बाद में इस परंपरा ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी जड़ें जमा लीं। अंग्रेजी समाज में रैगिंग ने नवागंतुकों को सड़क पर घुमाने का रूप ले लिया जिससे न केवल नवागंतुकों को बल्कि आम जनता, विशेषकर लड़कियों को बहुत झुंझलाहट हुई।

15. रैगिंग महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में उसी संस्थान के वरिष्ठ छात्रों और कभी-कभी बाहरी लोगों द्वारा नए छात्रों के व्यवस्थित और निरंतर शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का एक रूप है। हालाँकि रैगिंग का कोई न कोई रूप हर शैक्षणिक संस्थान में मौजूद है लेकिन मानवाधिकारों का गंभीर दुरुपयोग आमतौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों और सशस्त्र बलों में होता है। रैगिंग का स्वरूप और प्रभाव हर संस्थान में अलग-अलग होता है। यह प्रथम वर्ष के छात्रों के मन में डर की भावना पैदा करता है और वे अप्रत्याशित घटनाओं

से आशंकित हो जाते हैं जो बाद में सच होती है और कार्रवाई के वास्तविक रूप में परिणत होती है।

16. रैगिंग "शोरगुल, अव्यवस्थित आचरण और उच्च उत्साह का प्रदर्शन है जिसे अपराधी (रैगर्स) उत्कृष्ट मनोरंजन मानते हैं और बाहरी लोग इसे खूनी उपद्रव मानते हैं।"

17. रैगिंग का दूसरा अर्थ है "ज़ोर से और मज़ाक में सवाल करना, घुड़दौड़ करना या ज़ोर-ज़ोर से और शोर-शराबे से हमला करना"।

18. रैगिंग की एक अन्य परिभाषा "बुल-फाइट" के लोकप्रिय स्पेनिश खेल को संदर्भित करती है, जिसमें बैल को लाल 'चीर' दिखाया जाता है और एक व्यक्ति चिल्लाता है जो बैल को लड़ाई में क्रोधित करता है।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, "रैगिंग" का अर्थ शोर-शराबा प्रदर्शित करना है। उच्छृंखल आचरण या कोई ऐसा कार्य करना जो किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है या आशंका या भय या शर्मिंदगी पैदा करता है और इसमें शामिल है,

(ए) चिढ़ाना, गाली देना, व्यावहारिक चुटकुले खेलना, या ऐसे छात्रों को चोट पहुँचाना; या

(बी) छात्र को कोई कार्य करने या कुछ ऐसा करने के लिए कहना जो ऐसा छात्र सामान्य रूप से स्वेच्छा से नहीं करेगा।

20. "रैगिंग" का अर्थ है ऐसा कार्य करना जो किसी छात्र का अपमान या झुंझलाहट या डर या आशंका या धमकी या शील भंग या चोट पहुंचाने का कारण बनता है या होने की संभावना है।

21. "रैगिंग" का अर्थ है किसी छात्र को, चाहे वह व्यावहारिक मजाक के माध्यम से या अन्यथा, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना या जो मानवीय गरिमा को कम करता है या उसके व्यक्तित्व का उल्लंघन करता है या उसे उपहास करने या किसी भी वैध कार्य को करने से रोकने के लिए प्रेरित करता है, डरा-धमका कर, ग़लत तरीक़े से रोककर, उसे गलत तरीके से कैद करना या घायल करना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसे ऐसी धमकी, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, चोट पहुंचाना या आपराधिक बल के इस्तेमाल की धमकी देना।

22. "रैगिंग" शब्द का बोलचाल की भाषा में अर्थ चिढ़ाना या खेलना होता है किसी पर व्यावहारिक चुटकुले, विशेष रूप से उन छात्रों पर जो स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नए प्रवेशी हैं। शुरुआत में यह संस्थानों में प्रथम वर्ष के छात्रों के परिचय का एक तरीका था जो धीरे-धीरे न केवल गंभीर समस्या बन गया बल्कि एक

सामाजिक कलंक भी बन गया। बच्चे की पलने की उम्र में वरिष्ठ छात्रों द्वारा अपने कनिष्ठ छात्रों पर यह एक हानिरहित अभ्यास था। रैगिंग की उत्पत्ति या पहल के संबंध में, इसका पता सातवीं या आठवीं शताब्दी ईस्वी में लगाया जा सकता है।

23. 1828-1846 में, 'संयुक्त राज्य अमेरिका' के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के परिसर में, 'बिरादरी' नामक कई छात्र-संगठन उभरे। इन बिरादरी के नवागंतुकों को प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता था। अपने प्रारंभिक रूप में, इसे 'हेजिंग' कहा जाता था जो प्रतिज्ञा के साहस का परीक्षण करने के लिए मात्र एक अनुष्ठान था।

24. प्राचीन यूनान में, खेल समुदायों में नए खिलाड़ियों को टीम भावना पैदा करने के लिए अपमान और चिढ़ाने का सामना करना पड़ता था। समय बीतने के बाद सशस्त्र बलों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को अपनाया गया जिसमें नए प्रवेशकों को ऑफ-ड्यूटी समय में वरिष्ठों की बात मानकर आगे बढ़ना होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बच्चे की पलने की उम्र में रैगिंग एक हानिरहित प्रथा थी जो समाज में स्वीकार्य थी लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसने क्रूरता, अपमान और उत्पीड़न का रूप ले लिया था। दरअसल युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों ने जो तकनीक, शैली या रूप सीखे थे और सेना के माहौल में उनका सामना किया था, वे युद्ध से लौटने के बाद कॉलेजों में दोबारा प्रवेश करते समय अपने साथ लाए

थे। दरअसल ये रूप टीम के महत्व को उजागर करने के लिए तैयार किए गए थे। धीरे-धीरे वे तकनीकें और रूप उन व्यक्तियों तक पहुंच गए जो तकनीकी शब्द 'हैजिंग' या 'रैगिंग' का वास्तविक अर्थ नहीं जानते थे। अब रैगिंग ने एक नया घृणित अर्थ प्राप्त कर लिया है जो किसी भी अव्यवस्थित आचरण को इंगित करता है। चाहे वह बोले गए या लिखे गए शब्दों से हो या किसी ऐसे कृत्य से हो जिसका प्रभाव किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने या उसके साथ उपद्रवी व्यवहार करने या अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होने के कारण होता है या झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक क्षति होने की संभावना है या किसी नए या कनिष्ठ छात्र में डर या आशंका पैदा करना या छात्र को कोई ऐसा कार्य करने या कुछ ऐसा करने के लिए कहना जो ऐसा छात्र सामान्य क्रम में नहीं करेगा और जिसके कारण शर्मिंदगी की भावना उत्पन्न हो सकती है ताकि नए या कनिष्ठ छात्र के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

25. रैगिंग का एक दुर्लभ और अजीब मामला इस प्रकार है - प्योत्र इलिच चैकोस्की रूस के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 1893 में यह बताया गया कि उनकी मृत्यु हैजा के कारण हुई और हैजा दूषित पानी पीने के कारण हुआ था। यह सरासर झूठ था। हालाँकि, यह झूंठ लगभग एक शताब्दी तक कायम रहा। सच्चाई का खुलासा संगीतकार की जीवनी लिखने वाली एलेक्जेंड्रा ओरलोवा ने किया और वह भी तब जब संगीतकार की मृत्यु हो

गई और जीवनी लेखक अमेरिका चले गए। जीवनी लेखक ने खुलासा किया कि रूसी संगीतकार अपनी शिक्षा अवधि के दौरान समलैंगिक थे और यह तथ्य कॉलेज के अधिकारियों को पता चला और उन्होंने संगीतकार को दंडित करने का फैसला किया और उन्हें निष्कासित किए जाने की संभावना थी। प्रस्तावित सजा की खबर उनके पुराने सहपाठियों को लीक हो गई और उन्होंने सोचा कि अगर संगीतकार को सजा दी गई तो इससे संस्थान का नाम खराब होगा। इसलिए, संगीतकार को "कोर्ट ऑफ ऑनर" में आठ पूर्व सहपाठियों के सामने बुलाया गया और "विद्यालय के अच्छे नाम को बनाए रखने" के लिए अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा गया। संगीतकार ने न्यायाधीशों में से एक द्वारा लाया गया जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया और हैजा से मृत्यु की कहानी मनगढ़ंत बनाई गई।

26. रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और विश्वविद्यालय गठित समिति द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। एमसीआई, बीसीआई यूजीसी के परामर्श से आवश्यक नियम बनाएगी जो संस्थानों पर बाध्यकारी होंगे। इन्हें प्रवेश के समय छात्रों को प्रवेश के लिए जारी प्रॉस्पेक्टस में उचित प्रावधान द्वारा सूचित किया जाएगा। दिशा-निर्देशों का पालन न करने से होने वाले दुष्परिणामों का भी संकेत दिया जाएगा। जो

जांचें लंबित हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

27. एक प्रश्न निष्कासन आदि जैसी कार्रवाई करने से पहले अपराधी को अवसर देने के संबंध में उठाया गया था। कई मामलों में कार्रवाई करने में देरी से तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे मामलों में यदि अधिकारी किसी छात्र के गलत कृत्य के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, तो वे भी उचित मामलों में अंतिम निर्णय लंबित होने तक छात्र को संस्थान और छात्रावास से निलंबित कर सकते हैं और उसे अपनी बात रखने का अवसर दे सकते हैं। पुलिस को तुरंत सूचित किया जाएगा और आपराधिक कानून लागू किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय या नियंत्रक निकाय के ध्यान में यह आता है कि कोई शैक्षणिक संस्थान गलती करने वाले छात्रों को बचाने की कोशिश कर रहा है तो वे सहायता अनुदान को कम करने के लिए स्वतंत्र होंगे और गंभीर मामलों में सहायता अनुदान से इनकार करेंगे।

28. यह मामला माह मार्च, 2009 में सूचीबद्ध किया जाएगा।

एन.जे. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा, द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।